संख्या-5/2016/485एस0ची0उ0अनु0-1/16-2541/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-24 आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत सहकारी गन्ना समितियों को सोसाईटी कमीशन की प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-132/लेखा बजट/2016-2017, दिनांक 31-3-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुदान संख्या-24 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक-2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग, 201-चीनी, 06-सहकारी समितियों को सहायता-0601-सहकारी गन्ना समितियों को सोसाईटी कमीशन की प्रतिपूर्ति-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 223,50,00,000/- (रू0 दो सौ तेईस करोड़ पचास लाख मात्र) में से प्रथम किस्त के रूप में रू0 111,75,00,000 (एक सौ ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत/व्यय की जायेगी।

4- आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से एकमुश्त आहरण न कर इसे आवश्यकतानुसार आहरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुदान संख्या-24 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक-2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग, 201-चीनी, 06-सहकारी समितियों को सहायता-0601-सहकारी गन्ना समितियों को सोसाईटी कमीशन की प्रतिपूर्ति-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2016/485(1)एस0ची0उ0अनु0-1/16-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।